प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद गौड़ पुत्र श्री रंगलाल गौड़, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-47796/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.12.2025), दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद गौड़ पुत्र श्री रंगलाल गौड़, जो ग्राम-जोकहरा, थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। प्रथम घटना-साइकिल की दुकान में घुसकर रिंच व पम्प निकाल ले जाने का विरोध किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक-17.04.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर माकून व छाया नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय घटना- पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमें में सुलह किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक-04.04.2011 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहा से गोली मारकर अच्छेलाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी को (1) एसटी0-51/2011 धारा-302/34, 323/34, 504, 506 आई०पी०सी० में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एस०सी०/एस०टी० एक्ट, कोर्ट सं0-02, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 30.08.2016 द्वारा आजीवन कारावास व 3 (2) 5 एस0सी/एस0टी एक्ट में 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी को (2) एस०टी०नं0-24/2012 व 27/2012, धारा-147, 148, 302/149, 452 आई0पी0सी0 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-02, आजमगढ़ के आदेश दिनांक-19.02.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रथम केस में बंदी ने दिनांक-15.04.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 11 माह, 27 दिन व सपरिहार 10 वर्ष, 04 माह, 00 दिन की सजा की सजा पूरी कर ली है। द्वितीय केस में बंदी ने दिनांक 15.04.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 05 दिन व सपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक-06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरुप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0 जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना साइकिल की दुकान में घुसकर रिंच व पम्प निकाल ले जाने का विरोध किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक-17.04.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर माकून व छाया नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय घटना पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमें में सुलह किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 04.04.2011 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहा से गोली मारकर अच्छेलाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। बन्दी के अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी प्रमोद गौड़ पुत्र रंगलाल गौड़ को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद गौड़ (बन्दी संख्या-596/2024) पुत्र श्री रंगलाल गौड़, निवासी जनपद- आजमगढ़ की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1091/2026/2544(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-1091/2026/2544/22-2-2025-17(1167)/2025

दिनांकः 20 अगस्त, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमोद गौड़ पुत्र श्री रंगलाल गौड़, जो ग्राम-जोकहरा, थाना-रौनापार, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। प्रथम घटना- साइकिल की दुकान में घुसकर रिंच व पम्प निकाल ले जाने का विरोध किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक-17.04.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर माकून व छाया नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय घटना- पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमें में सुलह किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक-04.04.2011 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहा से गोली मारकर अच्छेलाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी को (1) एसटी0-51/2011 धारा-302/34, 323/34, 504, 506 आई०पी०सी० में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एस०सी०/एस०टी० एक्ट, कोर्ट सं0-02, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 30.08.2016 द्वारा आजीवन कारावास व 3 (2) 5 एस0सी/एस0टी एक्ट में 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी को (2) एस०टी०नं0-24/2012 व 27/2012, धारा-147, 148, 302/149, 452 आई0पी0सी0 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-02, आजमगढ़ के आदेश दिनांक-19.02.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रथम केस में बंदी ने दिनांक-15.04.2025 तक अपरिहार 08 वर्ष, 11 माह, 27 दिन व सपरिहार 10 वर्ष, 04 माह, 00 दिन की सजा की सजा पूरी कर ली है। द्वितीय केस में बंदी ने दिनांक 15.04.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 05 दिन व सपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 05 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक-06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरुप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल0 जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जा सकने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना साइकिल की दुकान में घुसकर रिंच व पम्प निकाल ले जाने का विरोध किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक-17.04.2010 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाईसेन्सी बन्दूक से गोली मारकर माकून व छाया नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय घटना पूर्व में हुयी हत्या के मुकदमें में सुलह किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 04.04.2011 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर असलहा से गोली मारकर अच्छेलाल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। बन्दी के अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी प्रमोद गौड़ पुत्र रंगलाल गौड़ को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in